संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

(नर्सिंग प्रशिक्षण शाखा, चतुर्थ तल, हाउसिंग बोर्ड कॉम्पलेक्स, सेक्टर–27)

नया रायपुर छत्तीसगढ़

E-mail Id - spotrainingdhscg@gmail.com दूरभाष नं.0771–2511305

पुरूष बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र 2017–18 हेतु विज्ञापन

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छ.ग. के अधीन 05 शासकीय पुरूष बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों (दुर्ग, सरगुजा, जगदलपुर, महासमुन्द एवं कोरबा) में पुरूष बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण प्रवेष वर्ष 2017–18 में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पात्र केवल पुरूष उम्मीदवारों से दिनांक **11.10.2017** तक संलग्न प्रारूप परिशिष्ट ''अ'' में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है। प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध श्रेणीवार एवं जिलेवार सीटों की संख्या परिशिष्ट ''ब'' के अनुसार है। आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक, ए.डी./स्पीड पोस्ट से संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ही भेजे जाये, अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेगें, **प्रशिक्षण हेतु आवेदन संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें को प्रेषित न किया जाए**। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। प्रवेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ–16–1/2001/नौ/55 रायपुर दिनांक 9.9.2011 में प्रावधानित प्रक्रिया एवं योग्यता के आधार पर किया जाएगा।

नियम व शर्ते

01. पुरूष बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र की अवधि 1 वर्ष की होगी।
02. प्रशिक्षण प्राप्त करने का माध्यम हिन्दी होगा।
03. प्रशिक्षण के दौरान शासकीय प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण हेतु 250/– प्रतिमाह शिष्यवृत्ति देय होगी।
04. **शैक्षणिक अर्हता** –
    आवेदक को जीव विज्ञान संकाय के साथ 10+2 शिक्षा पद्धति में नियमित/ओपन परीक्षा 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी पद्धति से हायर सेकेन्डरी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

05. **आयु सीमा** –
    (1) 31 जुलाई 2017 को न्युनतम आयु 17 वर्ष होनी चाहिए ।
    अधिकतम आयु ऐसे आवेदक प्रवेश हेतु पात्र होंगे जिन्होंने 31 जुलाई 2017 को 30 वर्ष पूर्ण न कर ली हो ।
    (2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदको को आयु सीमा में नियमानुसार 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
    (3) सेवारत आवेदक के लिए आयु–सीमा में पाँच वर्ष की छूट होगी।

06. **आरक्षण** –
    (1) सेवारत आवेदको हेतु शासकीय संस्थाओं में 20 प्रतिशत सीटें आरक्षित है।

07. चयन प्रक्रिया –
(1) पुरूष बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता पाठ्यक्रम में प्रवेश 12वीं कक्षा के जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र विषयों के प्राप्ताकों के प्रतिशत के प्रावीण्य सूची के आधार पर किया जाएगा।
(2) सेवारत आवेदक के लिए अलग से प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।
(3) **जिलेवार चयन** :–सर्वप्रथम जिले के मूल निवासी सभी पात्र अभ्यर्थियों को जिले की निर्धारित सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। तदोपरांत सीटें रिक्त रहने की दशा में जिले के गैर मूल निवासी (छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य जिले के मूल निवासी) अभ्यर्थियों को प्रावीण्यता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। सभी जिलों के अभ्यार्थियों के लिए जिले की रिक्तियों के आधार पर सीटों का आबंटन सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा।
(4) प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा कर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी। इसके उपरांत दावा आपत्ति हेतु एक सप्ताह का समय दिया जाएगा तथा प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निराकरण संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया जाकर अंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन किया जावेगा।

(5) जिले में आबंटित सीटों के अनुसार संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अभ्यार्थियों को कांउसिलिंग के माध्यम से चयन कर संबंधित प्रषिक्षण केन्द्रो (दुर्ग, सरगुजा, जगदलपुर, महासमुन्द एवं कोरबा) में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाएगा।

(6) अभ्यर्थी को अलग–अलग जिलों के लिए अलग–अलग आवेदन करना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी को उसके मूल निवास के जिले की सीट आबंटित नहीं होती है उसने अन्य जिले में आवेदन किया हो तो वह वहाँ की काउंसिलिंग में भी भाग ले सकता है। परंतु ऐसी दशा में उस जिले के सभी पात्र मूल निवासी अभ्यर्थियों को सीटें आबंटित होने के उपरांत सीटें रिक्त रह जाने पर ही आबंटन की पात्रता होगी।

(7) शासकीय सेवारत आवेदकों हेतु शासकीय संस्थाओं में आरक्षित सीटों के लिए **कार्यरत जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आवेदन प्रेषित करना होगा तथा कार्यरत जिले के ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा काउंसिलिंग के माध्यम से इनका चयन कर प्रशिक्षण केन्द्र में भेजा जायेगा।**

(8) प्रवेश नियम क्र. 3 के सरल क्र. 8 अनुसार ''प्रशिक्षण के उपरांत शासकीय सेवा में नियुक्ति प्रदान करने हेतु शासन की किसी प्रकार की बाध्यता नहीं होगी।''

(9) शासकीय सेवकों को नियमानुसार चयन प्रक्रिया में भाग लेना होगा तत्पश्चात ही उन्हें पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति की पात्रता होगी।

(10) विज्ञापन एवं प्रवेश नियम विभागीय वेबसाइट www.cghealth.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	11.10.2017
प्रावधिक मेरिट सूची का प्रकाशन	16.10.2017
दावे आपत्ति की अंतिम तिथि	24.10.2017
अंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन	27.10.2017
जिलेवार काउंसिलिंग की तिथि	

क्र.	जिलो के नाम	तिथि
1	बीजापुर	31.10.2017
2	सुकमा	02-11-2017
3	दंतेवाड़ा	03-11-2017
4	जगदलपुर	06-11-2017
5	कोण्डागांव	07-11-2017
6	नारायणपुर	08-11-2017
7	कांकेर	09-11-2017
8	राजनांदगांव	31.10.2017
9	कवर्धा	02-11-2017
10	बालोद	03-11-2017
11	दुर्ग	06-11-2017
12	बेमेतरा	07-11-2017
13	धमतरी	31.10.2017
14	गरियाबंद	02-11-2017
15	रायपुर	03-11-2017
16	बलौदाबाजार	06-11-2017
17	महासमुंद	07-11-2017
18	बिलासपुर	31.10.2017
19	मुंगेली	02-11-2017
20	कोरबा	03-11-2017
21	रायगढ़	07-11-2017
22	कोरिया	31.10.2017
23	सुरजपुर	02-11-2017
24	सरगुजा	03-11-2017
25	बलरामपुर	06-11-2017
26	जशपुर	07-11-2017

संचालक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण छ.ग. द्वारा अनुमोदित।

राज्य कार्यक्रम अधिकारी (नर्सिंग प्रषि.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

परिशिष्ट ''अ''

आवेदन पत्र का प्रारूप

स्वप्रमाणित
पासपोर्ट आकार
की फोटो
लगाएं।

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला—..
छत्तीसगढ़

01. प्रशिक्षण पद का नाम — पुरूष बहुउद्‌देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण (आवेदन पत्र के लिफाफा के ऊपर प्रशिक्षण का नाम एवं संवर्ग अनिवार्य रूप से लिखा जावे।)
02. आवेदक का नाम :— ....
03. पिता/पति का नाम :— ....
04. जन्म तिथि (शब्दों में), :— ....
(अंको में) :— ....
05. जाति वर्ग —सामान्य/अ.ज.जा/अ.जा/अ.पि.वर्ग :— ....
06 निवास व जिला (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
07 स्थाई पता :— ....
....
....
08 वर्तमान पत्र व्यवहार का पता (पिन कोड सहित) :— ....
09 12वीं/हायर सेकेण्डरी कक्षा में अध्ययन का विवरण :— ....

क्र.	बोर्ड	विद्यालय का नाम व जिला	परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष	जीव विज्ञान संकाय के कुल अंक	जीव विज्ञान संकाय के प्राप्तांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

10 **<u>संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची जो स्वप्रमाणित हो</u>** —
01. 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची जिसमें जन्मतिथि अंकित हो।
02. मूल निवासी प्रमाण पत्र। (जिसमें निवास के जिले का स्पष्ट उल्लेख हो)
03. सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र।
04. सैनिक संवर्ग हेतु जिला सैनिक बोर्ड का प्रमाणपत्र अथवा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग या निशक्तता का प्रमाणपत्र आवश्यकतानुसार।
05. सेवारत आवेदको हेतु शासकीय सेवा अवधि का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।

<u>घोषणा पत्र</u>

मैं घोषणा करता हूँ कि आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य पूर्ण एवं सही है, यदि विवरण का कोई अंश असत्य पाया जाता है तो प्रशिक्षण के पश्चात् भी सक्षम अधिकारी द्वारा दण्ड जो वह उचित समझे के लिए मै उत्तरदायी रहूंगा ।

स्थान : ....
दिनांक : ....

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम ....
पत्र व्यवहार का पूर्ण पता ....

परिशिष्ट ''ब''

शासकीय (MPW) प्रशिक्षण केन्द्रो में पुरूष बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता के प्रशिक्षण हेतु जिलेवार सीटो का आबंटन प्रशिक्षण सत्र 2017–18

क्र.	प्रशिक्षण केन्द्र	कुल सीट	आबंटित जिले	जिलेवार कुल आबंटन	सीट 80%	सामान्य अभ्यार्थी हेतु आरक्षित आबंटित सीट 80%				सीट 20%	सेवारत अभ्यार्थी हेतु आरक्षित आबंटित सीट 20%			
						अना.	अ. जा.	अ.ज. जा.	अ.पि. व.		अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**MPW** पुरूष प्रशि. केन्द्र जगदलपुर	60	बीजापुर	13	10	0	1	9	0	3	0	0	3	0
			सुकमा	16	13	0	0	13	0	3	0	0	3	0
			दंतेवाड़ा	5	4	0	0	3	1	1	0	0	1	0
			जगदलपुर *	21	17	0	0	17	0	4	0	0	4	0
			नारायणपुर	5	4	0	0	4	0	1	0	0	1	0
2	**MPW** पुरूष प्रशि. केन्द्र दुर्ग	60	राजनांदगांव	13	10	5	1	3	1	3	1	0	1	1
			कवर्धा	7	6	0	0	5	1	1	0	0	1	0
			बालोद	7	6	3	0	2	1	1	1	0	0	0
			दुर्ग	5	4	1	1	1	1	1	0	0	0	1
			बेमेतरा	22	18	12	3	0	3	4	3	1	0	0
			बिलासपुर *	6	5	2	1	1	1	1	1	0	0	0
3	**MPW** पुरूष प्रशि. केन्द्र अम्बिकापुर	60	कोरिया	10	8	0	1	6	1	2	0	0	2	0
			सुरजपुर	11	9	0	0	9	0	2	0	0	2	0
			सरगुजा	3	2	0	0	2	0	1	0	0	1	0
			बलरामपुर	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
			जशपुर	21	17	3	1	11	2	4	1	0	2	1
			जगदलपुर *'	11	9	0	0	9	0	2	0	0	2	0
			कोरबा *	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0
4	**MPW** पुरूष प्रशि. केन्द्र महासमुंद	60	धमतरी	3	2	0	0	2	0	1	0	0	1	0
			गरियाबन्द	11	9	4	1	3	1	2	1	0	1	0
			रायपुर	6	5	3	1	0	1	1	1	0	0	0
			बलौदाबाजार	3	2	2	0	0	0	1	1	0	0	0
			महासमुन्द	3	2	1	0	1	0	1	1	0	0	0
			कांकेर	11	9	4	1	4	0	2	1	0	1	0
			कोण्डागांव	9	7	0	0	6	1	2	0	0	2	0
			रायगढ़ *	14	11	5	2	4	0	3	1	1	1	0
5	**MPW** पुरूष प्रशि. केन्द्र कोरबा	60	कोरबा *	32	26	8	5	10	3	6	2	1	2	1
			बिलासपुर *	15	12	6	2	3	1	3	1	1	1	0
			मुंगेली	12	10	5	3	1	1	2	1	1	0	0
			जांजगीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			रायगढ़ *	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	**300**		**300**	**242**	**66**	**24**	**132**	**20**	**58**	**17**	**5**	**32**	**4**

जगदलपुर के (21+11), बिलासपुर के (6+15), कोरबा के (2+32), रायगढ़ के (14+1) की कुल सीटों के लिए अभ्यर्थियों का चयन एवं काउन्सिलिंग संबंधित जिले के ही मुख्य चिकि.एवं स्वा.अधिकारी द्वारा किया जाकर कॉलम नं.02 में उल्लेखित प्रशिक्षण केन्द्र में भेजा जायेगा।